जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2019/डी–1328 दिनांकः– 02/8/2019

श्री नरेन्द्र सिंह,
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
आशियाना हाउसिंग लिमिटेड,
401, तीसरी मंजिल, अपैक्स मॉल,
लालकोठी, टौंक रोड़, जयपुर।

विषयः– खसरा नम्बर 419 से 437, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के 'आशियाना दक्ष' ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2018 के संदर्भ में खसरा नम्बर 419 से 437, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित भूखण्ड़ (27,013.76 व.मी. पट्टा अनुसार तथा 26,511.29 व.मी. मौका स्थिति अनुसार) पर 38.95 मीटर ऊँचाई (स्टिल्ट + प्रथम तल से 12 तल) के 'आशियाना दक्ष' ग्रुप हाउसिंग के मानचित्र भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 214वीं बैठक दिनांक 14.06.2019 के निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ दी जाती हैः–

1. यह भवन अनुज्ञा माह जून–2026 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.2 के अनुसार अपशिष्ठ जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.4 के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.5 के अनुसार सौर ऊर्जा संयत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जेंवेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–09 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
10. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन–09 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।
14. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
15. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रेक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।

18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
19. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
20. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय–समय पर जाँच की जाए।
21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
23. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
24. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
25. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
27. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
29. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (12 मानचित्र)

भवदीय,

(ओमप्रकाश पारीक)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (12 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन–09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (12 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन–09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर मानचित्रों की प्रति (12 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. सहायक नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की प्रति (12 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. रजिस्ट्रार, रेरा विभाग, नगर नियोजन भवन, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
7. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
8. उपायुक्त राजस्व–प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6()/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।

(ओमप्रकाश पारीक)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

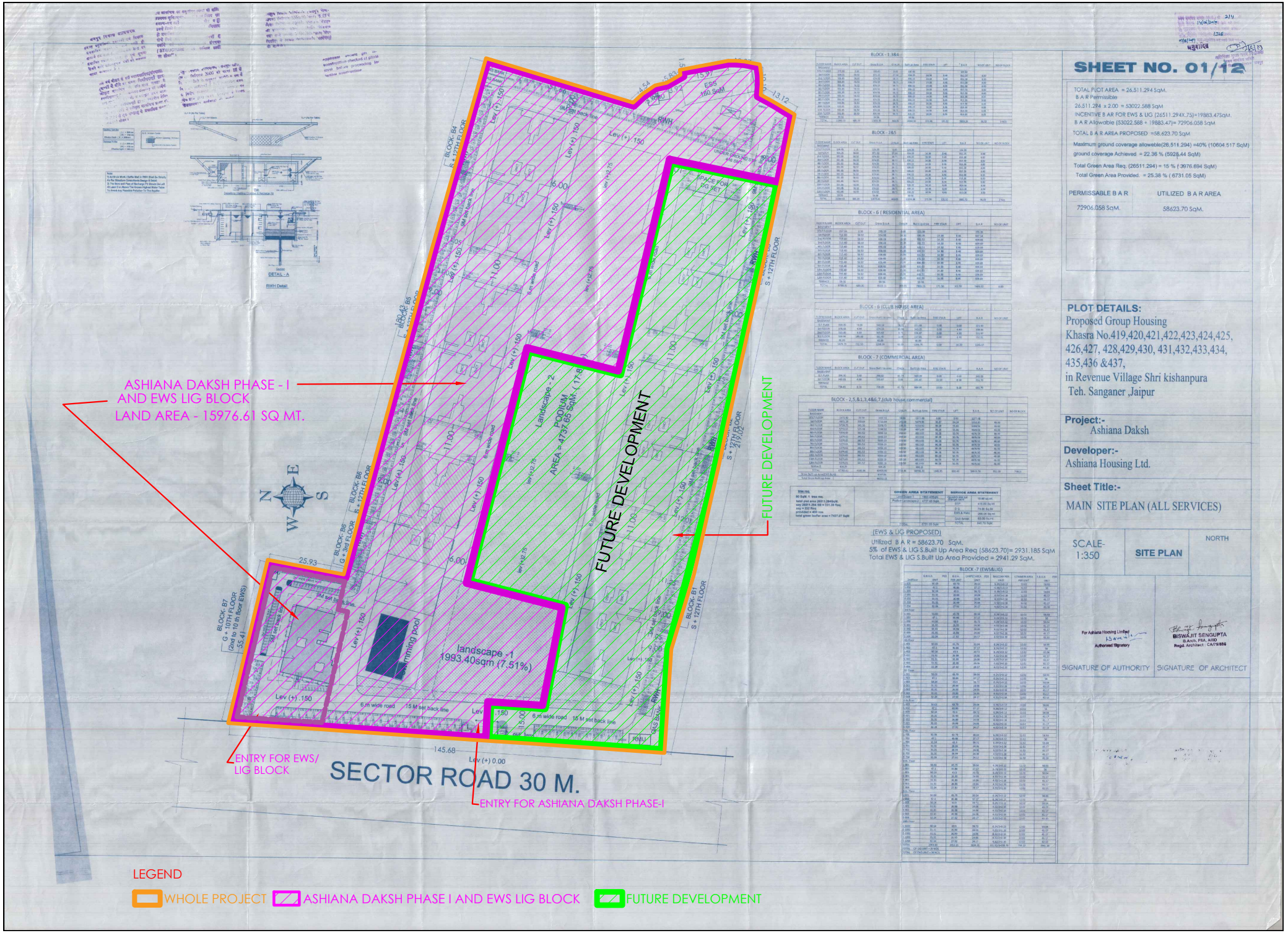

BLOCK - 1,3&4

BLOCK - 2&5

BLOCK - 6 (RESIDENTIAL AREA)

BLOCK - 6 (CLUB HOUSE AREA)

BLOCK - 7 (COMMERCIAL AREA)

BLOCK - 2,5,8,1,3,4&6,7,(club house,commercial)

GREEN AREA STATEMENT

SERVICE AREA STATEMENT

(EWS & LIG PROPOSED)

Utilized B A R = 58623.70 SqM.
5% of EWS & LIG S.Built Up Area Req (58623.70)= 2931.185 SqM
Total EWS & LIG S.Built Up Area Provided = 2941.29 SqM.

BLOCK -7 (EWS&LIG)

SHEET NO. 01/12

TOTAL PLOT AREA = 26,511.294 SqM.
B A R Permissible
26,511.294 x 2.00 = 53022.588 SqM
INCENTIVE B AR FOR EWS & LIG (26511.294X.75)=19883.47SqM.
B A R Allowable (53022.588 + 19883.47)= 72906.058 SqM
TOTAL B A R AREA PROPOSED =58,623.70 SqM
Maximum ground coverage allowable(26,511.294) =40% (10604.517 SqM)
ground coverage Achieved = 22.36 % (5928.44 SqM)
Total Green Area Req. (26511.294) = 15 % (3976.694 SqM)
Total Green Area Provided. = 25.38 % (6731.05 SqM)

PERMISSABLE B A R	UTILIZED B A R AREA
72906.058 SqM.	58623.70 SqM.

PLOT DETAILS:
Proposed Group Housing
Khasra No.419,420,421,422,423,424,425,
426,427, 428,429,430, 431,432,433,434,
435,436 &437,
in Revenue Village Shri kishanpura
Teh. Sanganer ,Jaipur

Project:-
Ashiana Daksh

Developer:-
Ashiana Housing Ltd.

Sheet Title:-
MAIN SITE PLAN (ALL SERVICES)

SCALE- 1:350

SITE PLAN

NORTH

For Ashiana Housing Limited
Authorised Signatory
SIGNATURE OF AUTHORITY

BISWAJIT SENGUPTA
B.Arch, FIA, AIID
Regd. Architect : CA/75/886
SIGNATURE OF ARCHITECT

LEGEND

WHOLE PROJECT | ASHIANA DAKSH PHASE I AND EWS LIG BLOCK | FUTURE DEVELOPMENT

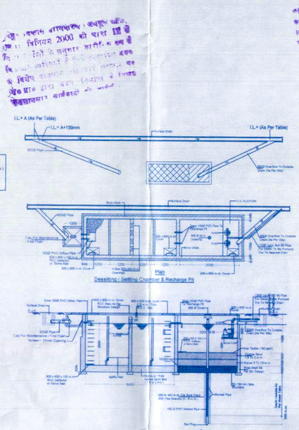

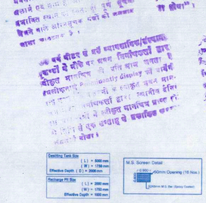

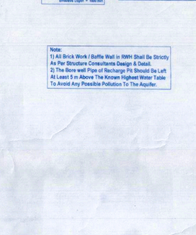

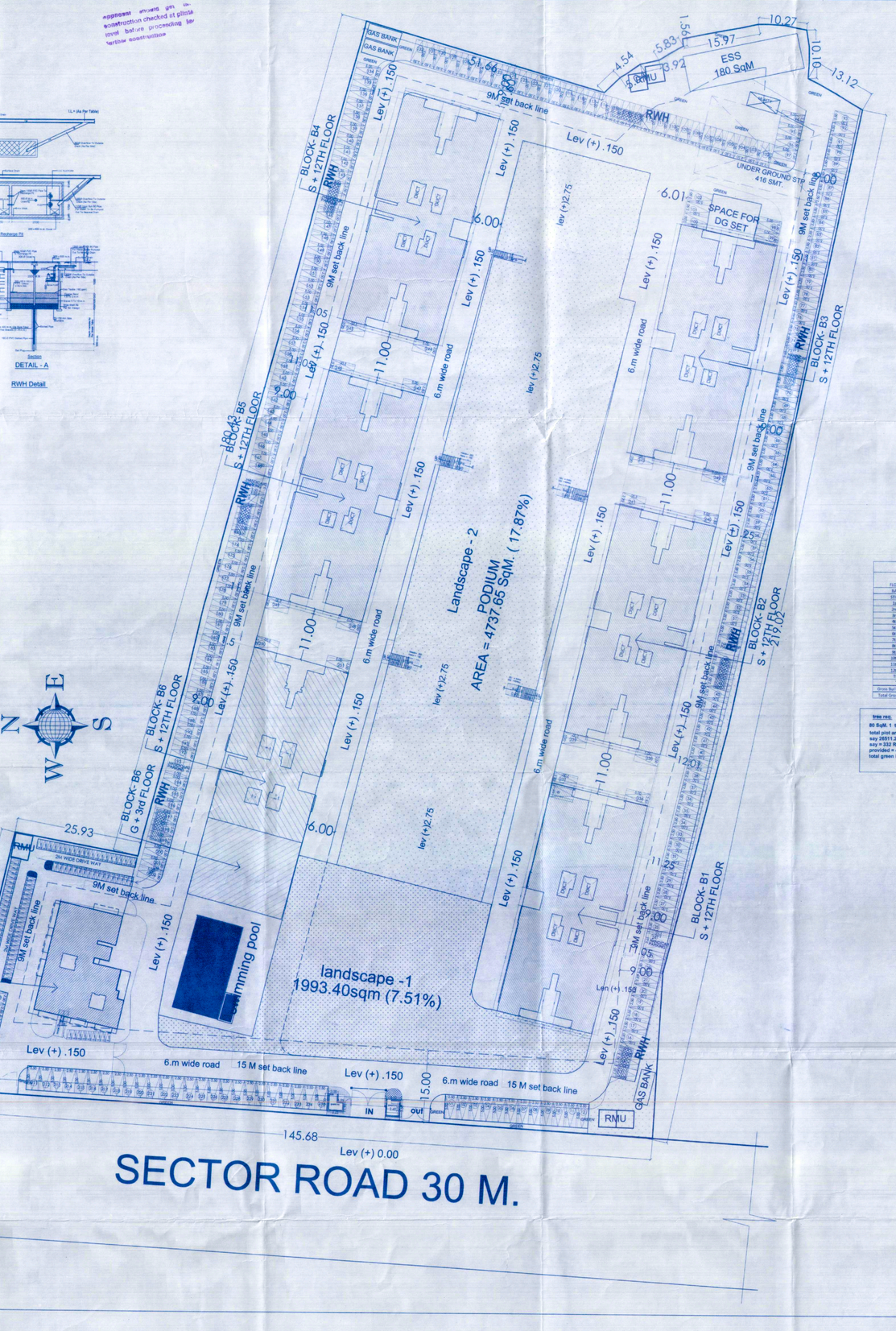

BLOCK - 1,3&4										
FLOOR NAME	BLOCK AREA	CUT OUT	Gross B.U.A	CHAJA	Built up Area	FIRE STAIR	LIFT	" B A R	NO OF UNIT	NO OF BLOCK
BASEMENT										
STILT FLOOR	372.99	2.34	370.65	0.00	370.65			370.65		
1st FLOOR	928.35	56.97	871.38	37.34	834.04	14.38	8.46	811.29	8.00	
2nd FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
3rd FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
4th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
5th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
6th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
7th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
8th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
9th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
10th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
11th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
12th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
TERRACE	59.56		59.56		59.56					
TOTAL	13381.31	685.20	12603.36	483.05	12332.90	172.56	101.52	9856.26	96.00	3 NOS

BLOCK - 2&5										
FLOOR NAME	BLOCK AREA	CUT OUT	Gross B.U.A	CHAJA	Built up Area	FIRE STAIR	LIFT	B.A.R	NO OF UNIT	NO OF BLOCK
BASEMENT										
STILT FLOOR	126.45	2.35	124.29	0.00	124.29			124.29		
1st FLOOR	931.25	56.92	871.38	37.34	834.04	14.38	8.46	811.21	8.00	
2nd FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
3rd FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
4th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
5th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
6th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
7th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
8th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
9th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
10th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
11th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
12th FLOOR	931.81	56.92	874.89	38.71	836.22	14.38	8.46	813.38	8.00	
TERRACE	59.56		59.56		59.56					
TOTAL	11364.63	685.20	10679.43	463.05	10216.38	172.56	101.52	9860.72	96.00	2 Nos

BLOCK - 6 (RESIDENTIAL AREA)									
FLOOR NAME	BLOCK AREA	CUT OUT	Gross B.U.A	CHAJA	Built up Area	FIRE STAIR	LIFT	B.A.R	NO OF UNIT
BASEMENT									
STILT FLOOR	157.55	2.16	155.39	0.00	155.39			155.39	
1st FLOOR	733.80	56.92	674.88	26.10	690.38	14.38	8.46	667.54	
2nd FLOOR	715.40	56.92	658.48	26.07	632.53	14.38	8.46	609.69	
3rd FLOOR	715.40	56.92	658.48	25.95	632.53	14.38	8.46	609.69	
4th FLOOR	715.40	56.92	658.48	26.05	632.53	14.38	8.46	609.69	
5th FLOOR	715.40	56.92	658.48	25.95	632.53	14.38	8.46	609.69	
6th FLOOR	715.40	56.92	658.48	25.95	632.53	14.38	8.46	609.69	
7th FLOOR	715.40	56.92	658.48	25.95	632.53	14.38	8.46	609.69	
8th FLOOR	715.40	56.92	658.48	25.95	632.53	14.38	8.46	609.69	
9th FLOOR	715.40	56.92	658.48	25.95	632.53	14.38	8.46	609.69	
10th FLOOR	715.40	56.92	658.48	25.95	632.53	14.38	8.46	609.69	
11th FLOOR	715.40	56.92	658.48	25.95	632.53	14.38	8.46	609.69	
12th FLOOR	715.40	56.92	658.48	25.95	632.53	14.38	8.46	609.69	
TERRACE	59.56		59.56		59.56				
TOTAL	8798.81	685.20	8113.11	305.55	7807.56	172.56	101.52	7483.52	0.00

BLOCK - 6 (CLUB HOUSE AREA)									
FLOOR NAME	BLOCK AREA	CUT OUT	Gross Built Up area	Chaja	Built Up Area	FIRE STAIR	LIFT	B.A.R	NO OF UNIT
BASEMENT									
ELF PLAN	350.20	15.06	340.14	18.25	321.89	0.00	0.00	321.89	
1st FLOOR	378.68	4.46	374.24	30.96	343.28	0.00	4.90	338.38	
2nd FLOOR	350.98	4.44	346.42	3.76	336.87	0.00	4.90	331.97	
3rd FLOOR	344.96	183.58	161.40	3.99	157.83	0.00	4.90	152.93	
TERRACE	42.93		46.89		46.89				
TOTAL	1479.79	713.50	1268.29	61.19	1206.75	0.00	14.70	1145.17	

BLOCK - 7 (COMMERCIAL AREA)									
FLOOR NAME	BLOCK AREA	CUT OUT	Gross Built Up area	Chaja	Built Up Area	FIRE STAIR	LIFT	B.A.R	NO OF UNIT
BASEMENT									
ELF PLAN	394.30	3.48	390.82	41.73	349.09	0.00	0.00	349.09	
1st FLOOR	340.55	4.68	335.87	0.00	335.87	10.59	8.58	316.70	
TERRACE									
TOTAL	734.85	8.15	726.69	41.73	684.96	10.59	8.58	665.79	

BLOCK - 2,5,&1,3,4&6,7,(club house,commercial)										
FLOOR NAME	BLOCK AREA	CUT OUT	Gross B.U.A	CHAJA	Built up Area	FIRE STAIR	LIFT	B.A.R	NO OF UNIT	NO OF BLOCK
BASEMENT										
STILT FLOOR	1472.92	81.90	1437.72	38.94	1377.48	0.00	0.00	1377.48		
1st FLOOR	6072.28	350.64	5721.64	241.68	5479.96	96.87	84.24	5255.85	46.00	
2nd FLOOR	5726.71	345.96	5378.75	238.25	5350.50	86.28	84.66	5008.56	46.00	
3rd FLOOR	5703.81	525.08	5196.53	725.09	4971.44	86.28	55.66	4829.50	46.00	
4th FLOOR	5374.65	341.52	5033.13	218.90	4814.63	86.28	50.76	4676.59	46.00	
5th FLOOR	5374.65	341.52	5033.13	218.90	4814.63	86.28	50.76	4676.59	46.00	
6th FLOOR	5374.65	341.52	5033.13	218.90	4814.63	86.28	50.76	4676.59	46.00	
7th FLOOR	5374.65	341.52	5033.13	218.90	4814.63	86.28	50.76	4676.59	46.00	
8th FLOOR	5374.65	341.52	5033.13	218.90	4814.63	86.28	50.76	4676.59	46.00	
9th FLOOR	5374.65	341.52	5033.13	218.90	4814.63	86.28	50.76	4676.59	46.00	
10th FLOOR	5374.65	341.52	5033.13	218.90	4814.63	86.28	50.76	4676.59	46.00	
11th FLOOR	5374.65	341.52	5033.13	218.90	4814.63	86.28	50.76	4676.59	46.00	
12th FLOOR	5374.65	341.52	5033.13	218.90	4814.63	86.28	50.76	4676.59	46.00	
TERRACE	404.29		404.29		404.29					
TOTAL	67765.42	4330.86	63405.06	2728.66	60706.30	1045.95	632.40	58623.70	552.00	7 NOS
Gross Built up Area(EWS BLDG)			3017.05							
Total Gross Built up Area			66422.11							

tree req.
80 SqM. 1 tree req.
total plot area 26511.294SqM.
say 26511.294 /80 = 331.39 Req.
say = 332 Req.
provided = 400 nos
total green buffer area = 7437.07 SqM

GREEN AREA STATEMENT		SERVICE AREA STATEMENT	
Land Scape-1	1993.40SqM.	GUARD RM /MR /Change room	19.88 sq.mt
Podium-Landscape-2	4737.65 SqM.	STP	418.00 Sq Mt
		D G	79.80 Sq Mt
		ESS & RMU	288.00 Sq mt
		GAS BANK	63.00 Sq mt
TOTAL	6731.05 SqM.	TOTAL	846.79 SqM.

(EWS & LIG PROPOSED)

Utilized B A R = 58623.70 SqM.
5% of EWS & LIG S.Built Up Area Req (58623.70)= 2931.185 SqM
Total EWS & LIG S.Built Up Area Provided = 2941.29 SqM.

BLOCK -7 (EWS&LIG)								
2nd Floor	G.B.U.A. PER UNIT	NOS	B.U.A. PER UNIT	CARPET AREA PER UNIT	NOS	BALCONY PER UNIT	COMMON AREA PER UNIT	S.B.U.A PER UNIT
E-201	50.03		43.79	39.04		6.24/2=3.12	12.02	58.93
E-202	47.1		40.86	37.17		6.24/2=3.12	12.02	56
E-203	50.14		43.9	39.72		6.24/2=3.12	12.02	59.04
E-301	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-302	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-303	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-304	32.24		27.92	24.17		4.32/2=2.16	12.02	42.10
3rd Floor								
E-301	50.03		43.79	39.04		6.24/2=3.12	12.02	58.93
E-302	47.1		40.86	37.17		6.24/2=3.12	12.02	56
E-303	50.14		43.9	39.72		6.24/2=3.12	12.02	59.04
E-301	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-302	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-303	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-304	32.24		27.92	24.17		4.32/2=2.16	12.02	42.10
4th Floor								
E-401	50.03		43.79	39.04		6.24/2=3.12	12.02	58.93
E-402	47.1		40.86	37.17		6.24/2=3.12	12.02	56
E-403	50.14		43.9	39.72		6.24/2=3.12	12.02	59.04
E-401	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-402	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-403	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-404	32.24		27.92	24.17		4.32/2=2.16	12.02	42.10
5th Floor								
E-501	50.03		43.79	39.04		6.24/2=3.12	12.02	58.93
E-502	47.1		40.86	37.17		6.24/2=3.12	12.02	56
E-503	50.14		43.9	39.72		6.24/2=3.12	12.02	59.04
E-501	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-502	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-503	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-504	32.24		27.92	24.17		4.32/2=2.16	12.02	42.10
6th Floor								
E-601	50.03		43.79	39.04		6.24/2=3.12	12.02	58.93
E-602	47.1		40.86	37.17		6.24/2=3.12	12.02	56
E-603	50.14		43.9	39.72		6.24/2=3.12	12.02	59.04
E-601	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-602	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-603	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-604	32.24		27.92	24.17		4.32/2=2.16	12.02	42.10
7th Floor								
E-701	50.03		43.79	39.04		6.24/2=3.12	12.02	58.93
E-702	47.1		40.86	37.17		6.24/2=3.12	12.02	56
E-703	50.14		43.9	39.72		6.24/2=3.12	12.02	59.04
E-701	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-702	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-703	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-704	32.24		27.92	24.17		4.32/2=2.16	12.02	42.10
8th Floor								
E-801	50.03		43.79	39.04		6.24/2=3.12	12.02	58.93
E-802	47.1		40.86	37.17		6.24/2=3.12	12.02	56
E-803	50.14		43.9	39.72		6.24/2=3.12	12.02	59.04
E-801	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-802	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-803	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-804	32.24		27.92	24.17		4.32/2=2.16	12.02	42.10
9th Floor								
E-901	50.03		43.79	39.04		6.24/2=3.12	12.02	58.93
E-902	47.1		40.86	37.17		6.24/2=3.12	12.02	56
E-903	50.14		43.9	39.72		6.24/2=3.12	12.02	59.04
E-901	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-902	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-903	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-904	32.24		27.92	24.17		4.32/2=2.16	12.02	42.10
10th Floor								
E-1001	50.14		43.9	39.72		6.24/2=3.12	12.02	59.04
E-1001	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-1002	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-1003	33.31		26.99	24.06		4.32/2=2.16	12.02	41.17
E-1004	32.24		27.92	24.17		4.32/2=2.16	12.02	42.10
TOTAL	2953.83		2052.51	1834.31		311.52/2=155.76	733.22	2941.29
TOTAL OF LIG UNIT = 21 NOS								
TOTAL OF EWS UNIT = 36 NOS								

...approval accord... construction checked at plinth ... level before proceeding for further construction

...विनियम 2010 की धारा ... ...ेतों के अनुरूप ... ...ेश दिये ... ...ेशानुसार ...

...ार्य स्वीकृत ... ...ार्य ... ...ार्य ... ...ार्य ...

...ार्य ... ...ार्य ... ...ार्य ...

...ार्य ... ...ार्य ... ...ार्य ...